दिनांक 24.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **10 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 23.11.2025 को थाना दुद्धी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेणुकूट–दुद्धी मार्ग ग्राम कादल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त बभूता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 10 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दुद्धी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बभूता निवासी उत्तरी डेर रेडाना थाना रामसर जनपद बाड़मेर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–10 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि।

- **जनपद सम्भल/थाना कुढ़फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना कुढ़फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/149/304 भादवि

व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–यशपाल 2–हरिओम 3–धर्मपाल 4–रूस्तम को आजीवन कारावास व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना वाल्टरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना वाल्टरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीत कुमार उर्फ रामजीत को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/504 भादवि, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0अरमान को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना बरौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना बरौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कासिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/323/504 भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्त सोनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–20 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फारूख को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————